

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,

(जिला उद्योग केन्द्र,)

आदेश

DD (Dant)



उद्योग निदेशालय के ज्ञापांक 2924/राँची, दिनांक 15.10.2014 के आलोक में *जिला स्तरीय निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है—

- | | |
|--|----------------------|
| 1. उपायुक्त,- | अध्यक्ष |
| 2. जिला योजना पदाधिकारी, लोहरदगा। | सदस्य सचिव |
| 3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा। | सदस्य |
| 4. सर्वश्री हिंडालको इण्डस्ट्रीज लि० लोहरदगा के प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 5. सर्वश्री कमला देवी राईस मिल, सेन्हा, लोहरदगा के प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रित सदस्य |

ह०/—

उपायुक्त
लोहरदगा।

ज्ञापांक 237 / लो०, दिनांक 16-7-15

प्रतिलिपि:— 1. जिला योजना पदाधिकारी, (डी०पी०ओ०) लोहरदगा / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा / सर्वश्री हिंडालको इण्डस्ट्रीज लि० लोहरदगा / सर्वश्री कमला देवी राईस मिल, सेन्हा, लोहरदगा के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
लोहरदगा।

16/7/15